मध्यप्रदेश विधान सभा

जनवरी-अप्रैल, 2001 सत्र

दैनिक कार्य सूची

मंगलवार, दिनांक 27 मार्च, 2001 (चैत्र 6, 1923)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार दि प्राविडेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड का दिनांक 31 मार्च, 1999 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे.

(2) श्री घनश्याम पाटीदार, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, जांच आयोग अधिनियम, 1952 की धारा-3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार जतारा (टीकमगढ़) गोलीकांड जांच आयोग का प्रतिवेदन दिनांक 30 जून, 2000 द्वारा श्री एम.के. व्यास, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शाजापुर (शासन के संकल्प सहित) पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री रसाल सिंह, राजेन्द्र भारती (दतिया), कुंवर विजयबहादुर सिंह बुन्देला, सदस्य, पन्ना जिले के पवई क्षेत्र के विधायक को पुलिस द्वारा झूठे प्रकरणों में फंसाये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री अहिरवार पर्वतलाल, मुंशीलाल, सदस्य, टीकमगढ़ जिले में तदर्थ शिक्षकों को पूर्ण वेतनमान न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री हिम्मत कोठारी, सभापति, लोक लेखा समिति का 117 वां से 132 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) चौधरी राकेश सिंह, सभापति, प्राक्कलन समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री राजमणि पटेल, सदस्य, नियम समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री बिसाहूलाल सिंह, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(5) श्री गनपत सिंह उइके, सभापति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के कल्याण संबंधी समिति का पैंतीसवां, छत्तीसवां एवं सैंतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री अशोकवीर विक्रम सिंह, सदस्य, पन्ना जिले के पवई नगर स्थित शासकीय महाविद्यालय के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने,

(2) श्री लालसिंह, सदस्य, भिण्ड जिले के -

- (क) गोहद ब्लाक में आसन नदी पर पुल या रपटा बनाये जाने,
- (ख) ग्राम बाराहेड, भगवासा एवं देहगांव में हाई स्कूल खोले जाने, एवं
- (ग) ग्राम चितौरा स्थित नेहरू उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को शासनाधीन लिये जाने;

(3) श्री विनोद डागा, सदस्य, भिण्ड जिले के लहार तथा दतिया जिले के भाण्डेर तहसील की फसलों को वन गायों से बचाये जाने;

-2-

(4) कुंवर विजयबहादुर सिंह बुन्देला, सदस्य, छतरपुर जिले के -

(क) ग्राम ठकुर्रा स्थित माध्यमिक विद्यालय का उन्नयन कराये जाने;
(ख) ग्राम ठकुर्रा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने;
(ग) ग्राम ठकुर्रा से पहरा तक सड़क बनाये जाने; एवं
(घ) ग्राम गौरिहार स्थित कन्या माध्यमिक शाला का उन्नयन कराये जाने;

(5) श्री बाबूलाल मेवरा, सदस्य, भोपाल जिले के ग्राम अकबरपुर स्थित सर्वजन कल्याण गृह निर्माण सहकारी समिति के "ए" एवं "बी" सेक्टर में विकास कार्य कराये जाने;

(6) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य, रीवा जिले के गोरमा मध्यम् सिंचाई बांध योजना के पुल माईनर की लंबाई बढ़ाई जाने; तथा

(7) डॉ. ढालसिंह बिसेन, सदस्य, सिवनी जिले में कनेरा नाला पर प्रस्तावित पुल निर्माण का स्थान परिवर्तन कराये जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.

6. राज्यमंत्री खेल एवं युवक कल्याण का वक्तव्य

श्री बाला बच्चन, राज्यमंत्री खेल एवं युवक कल्याण, दिनांक 20 मार्च, 2001 को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 32 (क्रमांक-5573) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे.

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री आरिफ अकील, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 8 सन् 2001) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(2) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश मनोरंजन शुल्क तथा विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 9 सन् 2001) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(3) श्री अजय मुशरान, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 10 सन् 2001) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(4) श्री हरवंश सिंह, परिवहन मंत्री, मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2001 (क्रमांक 11 सन् 2001) के पुरःस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरःस्थापित करेंगे.

(5) श्री हुकुम सिंह कराड़ा, ऊर्जा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश ऊर्जा विधेयक, 2001 (क्रमांक 4 सन् 2001) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. प्रतिवेदनों पर चर्चा

निर्धारित समय 2 घन्टे

(1) मानव अधिकार आयोग का प्रथम एवं द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन क्रमशः वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा आयोग की क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन पर चर्चा.

2 घन्टे

(2) मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 की अनुशंसाओं के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा.

के.पी.तिवारी
सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 26 मार्च, 2001